



2026:AHC:41278

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या -2751/2026

श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पति, अर्थात् नामित, संदीप कुमार श्रीवास्तव, जो सहायक लेखाकार (असिस्टेंट अकाउंटेंट) के रूप में तैनात थे, दिनांक 19.10.2025

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को कार्यरत अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वह पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन), उपदान (ग्रेच्युइटी), जी.पी.एफ., जी.आई.एस., आदि की अधिकारी है।

3. विद्वान अधिशासी अधिवक्ता ने, पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 24 एवं 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, प्रस्तुत किया है कि वास्तव में, रिट याचिकाकर्ता के आचरण के विरुद्ध जांच संचालित की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि वह एक घोटाले में संलिप्त था। वह, तथापि, प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे के निर्धारण की आवश्यकता पहले प्रतिवादी संख्या 2/निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा की जानी है।

4. न्यायाधीश पीठ के समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिकाकर्ता की स्व-प्रमाणित प्रति एवं आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखते हुए किया जाता है, जो उन अन्य प्राधिकारियों के सहयोग से जिनके भागीदारी की आवश्यकता होगी, दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों के दावे पर विचार करते हुए एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”